

मांग संख्या 66
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1 से 2

अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ` 283.30 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 2,83,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3

अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ` 187.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 1,87,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 4

पिछड़ा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति हेतु ` 500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 5 से 6

अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत प्राप्त अतिरिक्त राशि की वापसी हेतु ` 102.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 1,02,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 7

छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के स्थापना अनुदान हेतु ` 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।